राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-29/2018

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.................................

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के विभिन्न घटकों सहित कुल 3300.00 लाख (तैतीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना संचालित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वितीय वर्ष 2019-20 में कुल 10000.00 लाख का योजना उदव्यय प्राप्त है। वित विभाग के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का सिर्फ 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के विभिन्न घटकों सहित रूपये 3300.00 लाख (तैतीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है

रूपये लाख में

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	स्वीकृत राशि
1	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	0111-31-06	51-2235021030111	6960.00	2 96.80
2	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना -विशेष घटक	0109-31-06	51-2235027890109	3040.00	1 03.20
	कुल 3300.00 लाख (तैतीस करोड़) मात्र			**10000.00**	**3300.00**

2. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना हेतु स्वीकृत राशि में से 2 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय मद में किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-29/2018 के टिप्पणी पृ0-28/टि0 पर दिनांक-03.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-29/2018 के टिप्पणी पृ0-28/टि0 पर दिनांक-04.04.2019 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- : 3/यो0-29/2018 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- : 3/यो0-29/2018 17 पटना-15, दिनांक- 8.4.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)